7 ~~School Noc~~ DEO certificate
NOC

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-73-87/97/20-5 भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर, 1997

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
म.प्र. भोपाल ।

विषय : अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा शालायें खोलने की अनुमति के संबंध में शिक्षा संहिता के अध्याय-3 की कंडिका-33 में संशोधन ।

::/::

राज्य शासन द्वारा उक्त विषयक आदेश क्रमांक एफ-73-101/95/ई-5/20, दिनांक 30.12.96 के अनुक्रम में, म.प्र. शिक्षा संहिता के अध्याय 3 की कंडिका-33 में निम्नानुसार समावेश किया जाता है :-

(चार) अशासकीय विद्यालयों में कक्षा-5 से 12 तक नवीन कक्षायें प्रारम्भ करने अथवा शाला प्रारंभ करने के लिये अनुमति जारी करने की वर्तमान में प्रचलित निर्धारित प्रक्रिया के सरलीकरण की दृष्टि से उसे अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार, शर्तों के साथ निर्देश जारी किये जाते हैं :-

(1) अशासकीय शिक्षण संस्था प्रारंभ करने के लिये संचालन समिति का म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973, लोक न्यास अधिनियम अथवा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 में पंजीकृत तथा समिति के विधान में शिक्षा का प्रसार करने का उद्देश्य होना आवश्यक होगा ।

(2) पद एक में उल्लिखित समिति अपनी बैठक में कक्षा/शाला प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव पारित कर शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु सचिव या अध्यक्ष को प्राधिकृत करेगी ।

(3) विधिवत् रूप से अधिकृत पदाधिकारी संलग्न प्रारूप "क" अनुसार अनुविभागीय दंडाधिकारी से सत्यापित शपथपत्र जिले के उप संचालक को दो प्रतियों में प्रस्तुत कर एक प्रति पर पावती प्राप्त करेगा । इस शपथ पत्र के साथ उसे समिति के द्वारा प्राधिकृत करने के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करनी होगी । इसके अतिरिक्त वह प्रारूप (ख) में घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा तथा प्रारूप (ग) में उप संचालक के समक्ष बांड निष्पादित करेगा । इस शपथपत्र के साथ

....2

जो ... भवन की ... प्रतिलिपि एवं संस्था के पदाधिकारियों की प्रमाणित सूची प्रस्तुत करनी होगी साथ ही संस्था की ... चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति को प्रस्तुत करना होगा । पावती अंकित शपथ पत्र की प्रति ही विद्यालय संचालन हेतु अनुमति मान्य की जावेगी । इसके अतिरिक्त शाला प्रारंभ करने की पृथक से कोई अनुमति जारी नहीं की जावेगी । आवश्यकता या निरीक्षण के समय संस्था पावती अंकित शपथ पत्र की प्रति दिखाने के लिये बाध्य होगी ।

(4) विद्यालय संचालन हेतु समिति को उप संचालक, लोक शिक्षण के नामित प्राथमिक विद्यालय हेतु रु. 10,000/- माध्यमिक हेतु रु. 15,000/- हाईस्कूल हेतु रु. 20,000/- एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु रु. 25,000/- की राशि का बांड/ बचत पत्र/ सावधि जमा के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा ।

(5) विद्यालय में विभिन्न प्रकार के शुल्क, दान व अन्य प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश करने पर विभाग के अंकेक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा । इसके अतिरिक्त संस्था को प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेंट से अंकेक्षण कराके अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति उप संचालक कार्यालय में जमा करानी होगी ।

(6) शपथपत्र 10 रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा ।

(7) निरीक्षण में शपथ पत्र में उल्लिखित कथन अनुसार मापदंड व अन्य पूर्तियाँ नहीं पाये जाने पर संस्था के विरुद्ध असत्य शपथ पत्र देने के जुर्म में अभियोजन की कार्यवाही भारतीय दंड संहिता के अनुसार की जावेगी साथ ही संस्था के विद्यार्थियों को निकटस्थ शाला में समायोजित करते हुए शिक्षण संस्था बन्द करने के सक्षम अधिकारी [शिक्षा विभाग के उप संचालक या उससे उच्च अधिकारी] के आदेश संस्थित पर बंधनकारी होंगे । इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों में निष्पादित बांड की राशि राजसात करने की कार्यवाही भी की जावेगी ।

(8) नवीन शाला/ कक्षा प्रारंभ करने के लिये प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा शपथ पत्र 1 मार्च से 31 मई तक संबंधित जिले के उप संचालक को जमा किये जा सकेंगे । अन्य तिथि में कोई शपथपत्र किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जावेगा । बिना स्वीकृत शपथपत्र के कक्षा/शाला

संधारण करने का अधिकार नहीं होगा ।

(9) जिले में उप संचालक द्वारा प्राप्त शपथ पत्रों को व्यवस्थित रखने के लिये एक नस्ती तथा पंजी संधारित की जायेगी । पंजी परिशिष्ट (3) पर अंकित प्रारूप में संधारित की जायेगी ।

(10) उप संचालक का यह दायित्व होगा कि वह विधिवत् पूर्ण शपथपत्र प्राप्त कर पंजी में [illegible] [illegible] की पूर्ति कर इसी दिन दूसरी प्रति में पावती देना सुनिश्चित करे साथ ही परिशिष्ट (4) अनुसार प्रारंभ हुई कक्षा/शालाओं की जानकारी संयुक्त संचालक व लोक शिक्षण संचालनालय को जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक उनके द्वारा पहुँचाना आवश्यक होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर० के० तिवारी)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग.

पृ. क्र. एफ-73-87/97/20-5

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर, 1997

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. विशेष सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
3. संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ जिला पंचायत/पदेन अपर संचालक, लोक शिक्षण (समस्त)
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग .................... (समस्त)
6. उप संचालक, शिक्षा .... .................... (समस्त)

(आर० के० तिवारी)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग.